

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.)।

रिसाला

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी रिसाला
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – रिसाला से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण। (ख) संचित निरीक्षक (रिसाला) – सम्पूर्ण रिसाला का पर्यवेक्षण। (ग) संचित उपनिरीक्षक (रिसाला)– सम्पूर्ण रिसाला की देखभाल एवं प्रशिक्षण कार्य का सम्पादन। (घ) सहायक स्टाफ – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(आउटडोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	कार्यों निर्वहन के मानदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए रिसाला के निर्धारित समस्त कर्तव्य सम्पादन। दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	निदेशक आर.पी.ए. द्वारा दिये गये आदेशों की पालना एवं कर्तव्यों का सम्पादन।
6.	श्रेणियों का विवरण।	संचित निरीक्षक रिसाला से सम्बन्धित पत्रावली पंजिका <ul style="list-style-type: none"> ● घोड़ों के राशन का स्टॉक रजिस्टर ● घोड़ों का स्टॉक रजिस्टर ● सामान स्थाई व अस्थाई का स्टॉक रजिस्टर ● हाजरी रजिस्टर ● अवकाश रजिस्टर ● सामान ईश्यू रजिस्टर
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/ कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक(आउटडोर), फोन न0 0141-2302131 पीबीएक्स न0 506।
10.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा

12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट पर से।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टतां।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय तत् सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।